भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

बिजनेस स्टैण्डर्ड
(24 अक्टूबर)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय मंडल ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) तथा सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स अफगानिस्तान (CPA Afghanistan) के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की है।

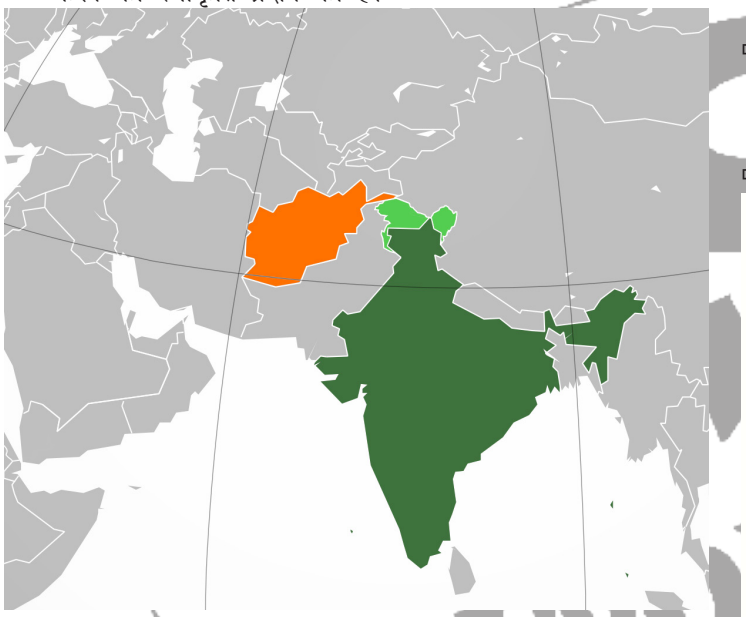

- इस समझौता पत्र के माध्यम से दोनों देश इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग करेंगे-
  - अफगानिस्तान एकाउंटेंसी बोर्ड के कौशल में वृद्धि में करना।
  - ज्ञान हस्तांतरण के माध्यम से अफगानिस्तान में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित क्षमता एवं गुणवत्ता को सुदृढ़ करना।
  - छात्रों और सदस्यों के बीच में कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना।
  - सेमीनार और सम्मलेन आयोजित करना।
  - ऐसी संयुक्त गतिविधियाँ चलाना जो उभय पक्षों के लिए लाभप्रद हों।

ICAI क्या है?

- भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) एक वैधानिक निकाय है जो चार्टर अकाउंटेंट एक्ट, 1949 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

The Institute of Chartered Accountants of India
(Setup by an Act of Parliament)

- इसका प्रधान उद्देश्य भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी के पेशे को विनियमित करना है।
- भारतीय चार्टर्ड लेखपाल संस्थान (ICAI) एक वैधानिक निकाय (statutory body) है जिसकी स्थापना "The Chartered Accountants अधिनियम, 1949" के तहत हुई है।
- ICAI अपने ढंग की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है।

मुख्य बिंदु

- ICAI भारत में वित्तीय अंकेक्षण और लेखपाल पेशे के लिए लाइसेंस देने और उसे विनियमित करने वाला एकमात्र निकाय है।
- यह भारत में कंपनियों द्वारा अपनाए गये लेखपाल कार्य के लिए मानदंड के विषय में राष्ट्रीय सलाहकार लेखपाल मानक समिति (NACAS) को सलाह देती है।
- कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अकेंक्षण के लिए मानक निर्धारित करने हेतु ICAI ही जवाबदेह होता है।
- ICAI अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ (IFAC), दक्षिण-एशियाई लेखाकार संघ (SAFA) और एशियाई एवं प्रशांत लेखाकार संघ (CAPA) के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

अपीलीय पंचाट और न्यायिक प्राधिकरण की स्थापना

लाइव मिंट, द क्विंट
(24 अक्टूबर)

संदर्भ-

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने बेनामी लेन-देन से सम्बंधित वादों के शीघ्र निस्तार के लिए अपीलीय पंचाट और न्यायिक प्राधिकरण की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है।

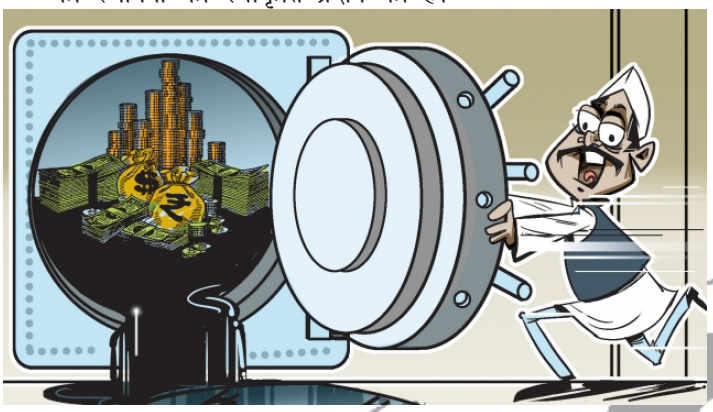

पृष्ठभूमि

- पूर्व में मंत्रीमंडल ने अधिसूचना निर्गत कर 34 राज्यों एवं केंद्र-शासित क्षेत्रों में सत्र न्यायालयों की स्थापना की थी।
- ये सभी न्यायालय बेनामी लेन-देन कानून के अधीन किये गये अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में काम करेंगे।
- बेनामी संपत्ति लेन-देन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम के नियम और सभी प्रावधान नवम्बर 1, 2016 से लागू हो चुके हैं।

अधिनियम में सुनवाई से सम्बंधित प्रावधान

- बेनामी संपत्ति लेन-देन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के अनुसार सरकार न्यायिक प्राधिकरण और अपीलीय पंचाट की नियुक्ति करेगी।
- इन निकायों में जो अधिकारी नियुक्त होंगे वे आयकर विभाग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समान स्तर के पदों से आयेंगे।
- न्यायिक अधिकारी के कार्यालय और अपीलीय पंचाट के कार्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होंगे।
- न्यायिक प्राधिकारी कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में भी बैठ सकता है, परन्तु इसके लिए आवश्यक अधिसूचना प्रस्तावित न्यायिक प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से निर्गत की जायेगी।

पंचाट के लाभ

- मंत्रीमंडल स्वीकृति के फलस्वरूप न्यायिक प्राधिकरण को भेजे गये मामलों का कारगर और त्वरित निष्पादन सम्भव हो सकेगा।
- इसके अलावा, न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय पंचाट में तेजी से सुनवाई हो सकेगी।

SPARC योजना

इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैण्डर्ड
(25 अक्टूबर)

संदर्भ-

- हाल ही में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक वेब-पोर्टल का शुभारम्भ किया है जो SPARC (Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration) योजना से सम्बंधित है।

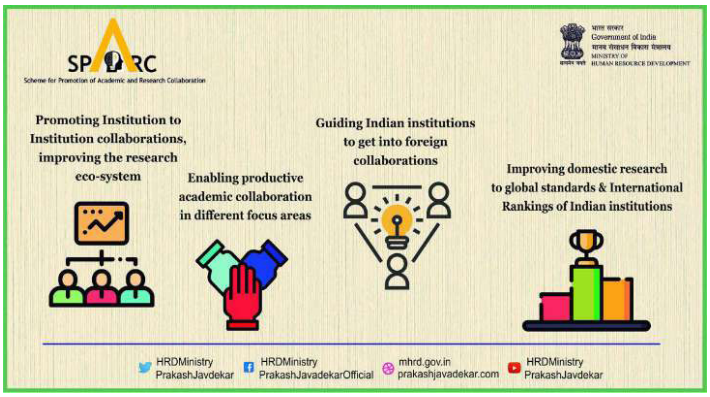

SPARC क्या है?

- यह योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2018 में स्वीकृत की गई थी। यह योजना 31/3/2020 तक कार्यान्वित की जानी है और इसमें कुल मिलाकर 418 करोड़ रु. की लागत आएगी।
- SPARC योजना को लागू करने के लिए IIT खड़गपुर को राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान बनाया गया है। इस विषय में विशेष विवरण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है – www-sparc-iitkgp-ac-in

उद्देश्य

- भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान के वातावरण में सुधार लाना।
- इसके लिए इस योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न संस्थानों तथा विश्व के उत्कृष्टतम संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं शोध विषयक सहयोग की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- इस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों तक 600 संयुक्त शोध प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएँगे जिनमें देश-विदेश के सर्वोत्कृष्ट विद्वान् आपस में ताल-मेल करेंगे।

- जिन विषयों पर शोध किया जाएगा वे विज्ञान के उन आधुनिकतम विषयों से सम्बंधित होंगे जो मानव समाज के लिए, विशेषकर भारत के लिए, प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं।

योजना का महत्त्व

- योजना के कार्यान्वयन से यह आशा की जाती है कि न केवल भारत को अपनी मुख्य राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सहयोग मिलेगा, अपितु भारतीय विद्वान् इन विदेशी विद्वानों के साथ विचार-विमर्श कर पायेंगे।
- योजना में प्रस्ताव है कि अंतर्राष्ट्रीय विद्वान् भारत में आकर लम्बे समय तक रहें।

MHRD
Govt. of India
सत्यमेव जयते

- योजना के तहत भारतीय छात्रों को विश्व-स्तरीय प्रयोगशालाओं में काम करने तथा शोध में उभयपक्षीय सम्पर्क बनाने का अवसर मिलेगा।
- इसके अलावा, इससे भारतीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग को सुधारने में सहायता मिलेगी।

SPARC

कृषि कुम्भ 2018

इकोनॉमिक्स टाइम्स
(26 अक्टूबर)

संदर्भ-

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा "कृषि कुम्भ" का उद्घाटन किया।
- "कृषि कुम्भ" का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है।
- इस उद्घाटन समारोह में लखनऊ में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय कृषि मंत्री, राज्य तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्य बिंदु

- कृषि कुम्भ 2018 में हरियाणा और राजस्थान साझेदार राज्य हैं। जबकि हरियाणा और जापान इस कृषि कुम्भ के लिए साझेदार देश हैं।
- इस समारोह में जापान के उप-मंत्री जबकि भारत में इजराइल के एम्बेसडर डेनियल कार्मन भी उपस्थित थे। यह कृषि कुम्भ 28 अक्टूबर, 2018 को समाप्त होगा।

- इस उद्घाटन समारोह के दौरान केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने संबोधित किया।
- इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि व सम्बंधित क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये।

भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता

इकोनॉमिक्स टाइम्स
(26 अक्टूबर)

संदर्भ-

- हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने व्यापार और जहाजों के आवागमन के लिए दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय तथा तटीय जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण समझौते किए हैं।
- भारत के नौवहन सचिव गोपाल कृष्ण और उनके बांग्लादेश के समकक्ष मोहम्मद अब्दुस्समद ने संयुक्त बयान भी जारी किया।

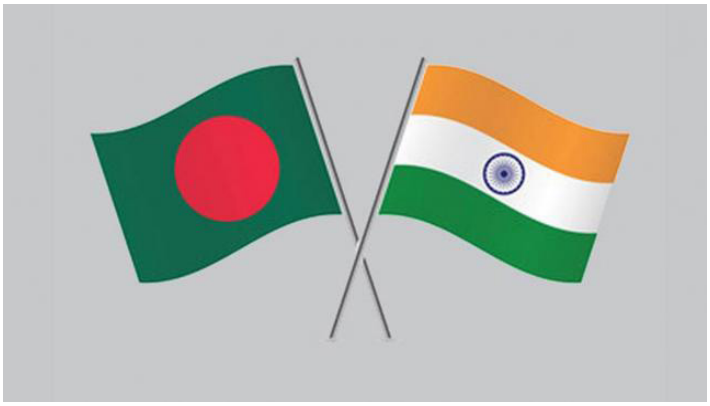

समझौतों के मुख्य बिंदु

- दोनों देशों के मध्य हुए समझौते के तहत बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोन्गला गोदियों को भारत से आने वाले और भारत को भेजे जाने वाले सामान के आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसके अलावा यात्रियों के आने-जाने और नौवहन सेवाओं के लिए भी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

- इस प्रक्रिया के लिए तटीय नौवहन मार्गों और अंतर्देशीय मार्गों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- नदी रास्ते नौवहन सेवाएं कोलकाता-ढाका-गुवाहाटी-जोरहट के बीच शुरू की जाएगी।
- इस बात पर भी सहमति हुई कि एक संयुक्त तकनीकी समिति अरिचा तक ढुलियान-राजशाही प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन की तकनीकी व्यवहारिकता का अध्ययन करेगी।

अन्य प्रमुख बिंदु

- भगीरथी नदी पर जांगीपुर नौवहन क्षेत्र को दोबारा खोलने पर भी विचार किया जाएगा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा का पानी साझा करने संबंधी संधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- दोनों पक्षों ने जोगीघोपा के विकास के प्रति भी सहमति व्यक्त की।
- इसके तहत जोगीघोपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और भूटान के लिए सामान के आवागमन के संबंध में टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

- भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं।
- बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है। ये दोनो देश सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं।
- विशेष रूप से, बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांत हैं।
- बांग्लादेश का उदय 1971 के भारत पाक युद्ध के साथ हुआ।
- इससे पूर्व इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था तथा 1947 में भारत विभाजन के दौरान यह अस्तित्व में आया था।
- बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।